

मुख्य न्यायाधपिताने 'आरएसएलएसए (रालसा) एट ए ग्लांस' पुस्तक का कथिा वमिोचन

चरचा में क्योँ?

27 जून, 2023 को राजस्थान उच्च न्यायालय मुख्य पीठ (जोधपुर) में राजस्थान राज्य वधिकि सेवा प्राधकिरण द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधपिताने आरएसएलएसए (रालसा) के मुख्य संरक्षक ऑगसिटनि जार्ज मसीह की अधयक्षता में रालसा की उपलब्धियौँ एवं गतविधियौँ को समाहति करते हुए तैयार की गई पुस्तक 'आरएसएलएसए एट ए ग्लांस'का वमिोचन कथिा गया ।

परमुख बदिु

- इसके साथ ही दो जनकल्याणकारी स्कीम वशिष योग्यजनौँ के हतिारथ उनका पहचान पत्र सुनशिचति करने एवं वभिनिन कल्याणकारी योजनाओँ यथा कृत्रमि अंग एवं अनय लाभ उपलब्ध कराने के लयि योजना व आदर्श वधिकि सेवा केंद्र योजना को लॉन्च कथिा गया ।
- राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा रालसा के कार्यकारी अधयक्ष, न्यायाधपितानेमनिदिर मोहन श्रीवास्तव ने बताया कि 'आरएसएलएसए एट ए ग्लांस'पुस्तक का वमिोचन, दवियांग वयक्तयौँ को यू.डी.आई.डी. सर्टफिकेट व अनय सरकारी योजनाओँ का लाभ दलाने के लयि योजना तथा प्रत्येक संभाग में दूरस्थ तालुका वधिकि सेवा समतिा में आदर्श वधिकि सेवा केंद्र की योजना का शुभारंभ कथिा गया है ।
- वशिष योग्यजन के चहिनीकरण की दशिा में प्रारंभ की गई इस योजना से प्रत्येक वशिष योग्यजन को दवियांगता प्रमाण-पत्र अर्थात् यू.डी.आई.डी. प्राप्त हो सकेगा और यू.डी.आई.डी. के अभाव में कोई वयक्त राज् की कल्याणकारी योजनाओँ या कृत्रमि अंग प्राप्त करने से वंचति नहीं रहेगा ।
- रालसा द्वारा चहिनिती की गई आदर्श तालुकाओँ में वधिकि जागरूकता कार्यक्रम आयोजति कर आमजन को न केवल कानून के प्रती जागरूक कथिा जाएगा बल्कि उनहें सरकारी योजनाओँ की जानकारी देते हुए उनका लाभ दलियाा जाना भी सुनशिचति कथिा जाएगा ।
- मुख्य न्यायाधपिताने ऑगसिटनि जार्ज मसीह ने बताया कि 'रालसा एट ए ग्लांस'पुस्तक रालसा की सराहनीय उपलब्धियौँ और वंचति वर्गौँ को कानूनी सहायता प्रदान करने के प्रती रालसा की अटूट प्रतबिदधता की झलक पेश करती है ।
- वशिषिट योग्यजनौँ की पहचान करने और उनहें यू.डी.आई.डी. प्रदान करने की यह योजना नशिचति रूप से एक परगतशील कदम है । इससे वशिषिट योग्यजनौँ को समाज की मुख्यधारा में शामिल हाने के साथ ही समान अधकिार व अवसर प्राप्त हो सकेंगे ।
- रालसा के द्वारा शुरु कथिा गए आदर्श वधिकि सेवा केंद्र को जरूरतमंद लोगौँ को उनकी सामाजकि एवं आर्थकि स्थतिा की परवाह कथिा बगैर वधिकि सहायता उपलब्ध कराएंगे जसिसे वे कानूनी परदृश्य से नपिटने के लयि सशक्त हो सकेंगे ।



